



ISO 9001:2008 Quality Management
System
Cert. No. 8047



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर - 273012
(ISO 9001) : 2000 प्रमाणित संगठन
Office of the General Manager (Vig)
Gorakhpur - 273012
(ISO 9001: 2000 certified Organisation)

सं. डी.ए.आर./वाणिज्य/2020/02/00374/पद्धति सुधार/115

दिनांक/15.07.2020

प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

विषय - Sign ON/OFF तथा डी.एम.आर. पंजिका में अपने नाम के सम्मुख अपूर्ण हस्ताक्षर किए जाने के सम्बन्ध में "पद्धति सुधार (system improvement)" ।

सतर्कता संगठन द्वारा सी.टी.टी.आई कार्यालयों में किए गए विभिन्न निवारक जांचों में पाया जा रहा है कि कार्यालय में रखे गए Sign ON/OFF तथा डी.एम.आर. पंजिका में अधिकांश चल टिकट निरीक्षकों द्वारा अपने नाम के सम्मुख हस्ताक्षर CAPITAL LETTERS के शार्ट फार्म (जैसे-N.A , S.S आदि) अथवा अपना अस्पष्ट initial हस्ताक्षर किया जा रहा है। उक्त से इस बात की प्रबल संभावना है कि वे गाड़ी में ड्यूटी पर स्वयं नहीं जाते हैं और उनका हस्ताक्षर उनके सहकर्मी द्वारा Sign ON/OFF या डी.एम.आर. पंजिका में कर दिया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु डी.एम.आर की छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः उक्त के आलोक में पूर्वोत्तर रेलवे में सी.टी.टी.आई कार्यालयों में रखे गए Sign "ON/OFF" तथा डी.एम.आर पंजिका में निम्न "पद्धति सुधार (system improvement)" की अनुशंसा की जाती है -

"सी.टी.टी.आई कार्यालयों में रखे गए Sign ON/OFF तथा डी.एम.आर पंजिका में चल टिकट निरीक्षकों द्वारा अपने नाम के सम्मुख अपना पूरा नाम का हस्ताक्षर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किया जाए"।

उक्त सुझाए गए "पद्धति सुधार (system improvement)" को तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि भविष्य में गंभीर अनियमितता पर रोक लगायी जा सके। कृपया कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

संलग्न - यथोपरि

15/07/2020
(जि.पी.ओ.सि.ह.)

उप मुख्याधि/याता
कृते महाप्रबन्धक/सतर्कता

15/07/2020

01C
6.7.2020



N.E. Railway
पूर्वोत्तर रेलवे
कार्यालय
महाप्रबन्धक(वाणिज्य)
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
Office of the
General Manager(C)
N. E. Railway, Gorakhpur.

पत्र सं० सी/442/सतर्कता/टीसी/2014/फाट-11

दिनांक- 28.07.2020

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे,
इज्जतनगर, लखनऊ एवं वाराणसी ।

विषय:-Sign ON/OFF तथा डीएमआर. पंजिका में अपने नाम
के सम्मुख अपूर्ण हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में पद्धति
सुधार (system improvement)

सन्दर्भ:-उप मुसताधि/यातायात का पत्र सं०. डीएमआर/वाणिज्य
/2020/02/00374/पद्धति सुधार/115 दि० 15.07.20

उपरोक्त विषय पर उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/यातायात के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें (छाया प्रति संलग्न) जो स्वतः स्पष्ट है । सतर्कता विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि सीटीटीआई. कार्यालयों में किए गये विभिन्न निवारक जाँचों में यह पाया जा रहा है कि Sign ON/OFF तथा डीएमआर. पंजिका में अधिकांश टीटीई द्वारा अपने नाम के सम्मुख हस्ताक्षर CAPITAL LETTERS के शार्ट फार्म में अथवा अस्पष्ट initial किया जा रहा है, जिससे इस बात कि संभावना बनी हुयी है कि टीटीई गाड़ी में ड्यूटी पर स्वयं नहीं जाते है और संबन्धित टीटीई के हस्ताक्षर उनके सहकर्मी द्वारा भी किये जा सकते है । उपरोक्त अनियमितता को रोकने हेतु सतर्कता विभाग द्वारा पद्धति सुधार करने हेतु अनुशंसा की गयी है जो निम्नवत है ।

“सीटीटीआई. कार्यालयों में रखे गए Sign ON/OFF तथा डीएमआर. पंजिका में चल टिकट निरीक्षको द्वारा अपने नाम के सम्मुख अपना पूरा नाम का हस्ताक्षर हिन्दी अथवा अंगेजी में किया जाए ।”

अतः कृपया इस मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित मुचटिनि० को जारी कराना सुनिश्चित करने की कृपा करें ।

संलग्नक/यथोपरि

(जे०पी०गौड़)
उपमुवाप्र/दावा
कृते महाप्रबन्धक/वाणिज्य

✓ प्रतिलिपि उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/यातायात, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को उनके सन्दर्भित पत्र के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

कृते महाप्रबन्धक/वाणिज्य

29/7/20

3